

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।


जी० आर० नं०- 1015 /2024

कृथा थाना काण्ड संख्या 195 /2023

08.01.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में कार्यालय के द्वारा आज मामले में दिनांक 08.11.2023 को प्रस्तुत आरोप पत्र को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आरोप पत्र अभियुक्तगण 1. गुलशन कुमार 2. मंजू देवी 3. जितेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध भा० द० वि० की धारा- 323, 341, 498(A) 504/34 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 290/23 दिनांक 08.11.2023 समर्पित किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। मामले में प्रथम सूचना प्रतिवेदन, आरोप पत्र, कांड दैनिकी के पैरा- 1, 2, 4, 5, 6, 16, 21, 22, 27, 30, 36, 39, 42 का अवलोकन किया। समस्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय आरोप पत्र में वर्णित अभियुक्तगण 1. गुलशन कुमार 2. मंजू देवी 3. जितेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध भा० द० वि० की धारा- 323, 341, 498(A) 504/34 के अंतर्गत प्रथम दृष्ट्या कार्रवाई करने का आधार पाती है। अतः अभियुक्तगण 1. गुलशन कुमार 2. मंजू देवी 3. जितेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध भा० द० वि० की धारा- 323, 341, 498(A) 504/34 के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है। अभिलेख को निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्तगण के विरुद्ध समन निर्गत करे।

वाद दिनांक-.... वास्ते उपस्थिति।

लेखापित,

  
(मनीष कुमार पाण्डेय) 08-1-25  
(जे० ओ० कोड बी० आर० 00961)  
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,  
अरवल।